पुस्तिका के विषय-वस्तु: गिरफ़्तारी के समय अधिकार

HUMAN RIGHTS COMMISSION MALDIVES

Human Rights Commission of the Maldives
National Preventive Mechanism

किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है?

संविधान: अनुच्छेद ४६

- एक व्यक्ति को केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब

- गिरफ़्तारी अधिकारी अपराध को होते हुए खुद देखता है
- या उस अधिकारी के पास उचित और संभावित आधार या सबूत हैं, यह विश्वास करने के लिए कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया है
- या वह अपराध करने जा रहा हैं
- या उस को गिरफ्तार करने का आदालत से वारंट है

अवैध गिरफ्तारी या हिरासत क्या है?

संविधान: अनुछेद ४५

- हर किसी का हक है कि उसे मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लीया जाये या गिरफ्तारी या जेल नहीं हो
सिवाए कानूनी तरीकों से।

क्या किसी व्यक्ति को कांट्रेक्ट की पूर्ति न करने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है?

संविधान: अनुछेद ५५

- किसी व्यक्ति को कांट्रेक्ट की पूर्ती न करने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जायेगा ।

क्या किसी से क्रूर अमानुषिक व्यवहार किया जा सकता है?

संविधान: अनुछेद ७४

- कोई भी व्यक्ति को क्रूर अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार दंड या यातना से अधीन नहीं किया जायेगा ।

क्या गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को आप की तालाशी लेने की और जब्ती करने की शक्ति है?

संविधान: अनुछेद ४७

- कोई भी व्यक्ति की तालाशी या जब्ती नहीं होगी जब तक उचित कारण न हो

- रियायशी संपत्ति अलंघनिय है और निवासी की सहमती के बिना प्रवेश नहीं की जाएगी सिवाय जब जीवन और संपत्ति की गंभीर और तत्कालीन नुक्सान को रोकना हो
या न्यायालय का आदेश हो

अगर मैं गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया/गयी तो मेरे गिरफ़्तारी और हिरासत में लिए जाने से सम्बंधित कौन से अधिकार है?

संविधान: अनुछेद ४८

- तुरंत मुझे मेरी गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने के कारण से सूचित कराना
- चौबिस घंटे के अन्दर लिखित में गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने के कारण से सूचित कराना
- देरी के बिना कानूनी सलाह को बनाए रखना और निर्देश देना और जब तक वह मामला जिस के लिए वो

- गिरफ्तार या हिरासत में हो, उसका समापन न हो जाये वकील की सुविधा का प्रबन्ध किया जायेगा

- अपनी पहचान को स्थापित करने के इलावा चुप रहना और इस अधिकार के बारे में सूचित किया जाना

- चौबीस घंटे के अन्दर न्यायाधीश के सामने लाए जाना ए जिस के पास हिरासत की मान्यता को निर्धारित करने की शक्ति हो शर्तों या बिना शर्तों के व्यक्ति को रिहा करने की, या उसको हिरासत में रखने की

पुलिस के नियम उनकी शक्तियां और अधिकार

- गिरफ़्तारी के समय जो जानकारियां शामिल होंगी - गिरफ़्तारी के समय उस पुलिस स्टेशन का नाम बताया जायेगा जहाँ उसे ले जाया जायेगा

क्या मैं उस पुलिस अफसर, जो मुझे गिरफ्तार कर रहा हो, उसकी पहचान देने को पूछ सकता/सकती हूँ?

पुलिस के नियम - उनकी शक्तियां और अधिकार

अनुछेद १८

- जो गिरफ्तार किया जा रहा हो उसको गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर का नाम, पद और सेवा नंबर बताया जाना चाहिये

- गिरफ़्तारी के समय जिसे गिरफ्तार किया जा रहा हो, उससे गिरफ़्तारी के कारण से सूचित किया जायेगा

पुलिस हिरासत के दौरान मुझसे क्या जानकारी ली जाएगी?

पुलिस सामान्य नियम: अध्याय ४, अनुछेद २८

- व्यक्तिगत बायो- डेटा
- अंगूली की छाप
- वजन और उचाई की जांच की जाएगी
- अगर कोई बाहरी चोटें हों वो हिरासत के समय दर्ज की जाएंगी

गिरफतार हुए व्यक्ति से कैसे व्यवहार और संवाद किया जाना चाहिये ?

संविधान: अनुछेद ५८

- हर व्यक्ति जो गिरफ़्तारी या हिरासत में लिए जाने के कारण कानूनी तौर से अपनी स्वतंत्रता से वंचित होता है या सामाजिक कारणों से राज्य में बंदी हो उस के साथ मानवता के साथ व्यवहार होगा और उसकी अंतर्निहित गरिमा का सम्मान किया जायेगा

एक व्यक्ति इस अध्याय में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के हक से केवल उस हद तक वंचित हो सकता है जो जो इस गिरफ्तारी के आवश्यक हो

यदि मुझपर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो तो मेरे अधिकार क्या होंगे?

संविधान: अनुछेद ५१

- देरी के बिना आरोपी द्वारा समझे जाने वाली भाषा में विशेष अपराध के बारे में सूचित होने का अधिकार

- उचित समय में मामले की सुनवाई का अधिकार

- गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाने का अधिकार

- जब आरोपी जिस भाषा में कार्यवाही हो रही हो नहीं बोलता हो या बहरा या गूंगा हो, एक दुभाषिया का अधिकार जो सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा

- अपने बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएं और अपने इच्छानुसार वकील को हिदायत देना और उन के साथ संवाद का अधिकार

- अदालत में परिक्षण के लिए खुद उपस्थित होना, और अपने बचाव के लिए खुद कानूनी वकील को चुनने का अधिकार

- उसके खिलाफ गवाहों की जांच करना और गवाहों की उपस्थिति और परीक्षण प्राप्त करने का अधिकार

- जब तक बिना किसी संदेह के दोषी न ठेहराया जाये, निर्दोष माने जाने का अधिकार

अगर मैं गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया / ली गयी, क्या मैं कानूनी सलाह की सहायता प्राप्त कर सकता हूँ / सकती हूँ ?

संविधान: अनुच्छेद ७३

- जब भी कानूनी सलाह की आवश्यकता हो हर किसी का अधिकार है कानूनी सहायता को बनाये रखने और निर्देश देने का

- गंभीर आपराधिक मामलों में राज्य (ए-जी कार्यालय) आरोपी व्यक्ति के लिए एक वकील प्रदान करेगा अगर आरोपी के पास वकील करने का खर्च न हो

पुलिस सामान्य नियम: अध्याय ६, अनुछेद ५४

- एक आरोपी व्यक्ति को चल रही पूछताछ और जांच से सम्भंदित सवाल करने के लिए उसके वकील को १८ घंटे पहले पूछताछ के स्थान और समय के बारे में सूचित किया जाना चाहिए

- लेकिन अपराध की गंभीरता के अनुसार वकील को स्थान और समय के बारे मे पूछताछ के घंटे पहले सूचित किया जाना चाहिए

क्या एक व्यक्ति को किसी भी कार्य या चूक के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जब अपराध करने के समय वह कानून में एक अपराध नहीं हो

संविधान: अनुछेद ७९

- कोई भी व्यक्ति को किसी भी कार्य या चूक के लिए दोषी नहीं ठेहराया जायगा जब अपराध के समय वो अपराध इस्लामी शारिया कानून या देश के कानून में गठीत नहीं था

- और न ही उस अपराध करने के समय के दंड से और अधिक गंभीर दंड लागू किया जायेगा

- यदि एक अपराध की सजा कम कर दी हो अपराध करने और अपराधी के सज़ा पाने के बीच अपराधी कम सजा के लाभ का हकदार होगा

For more Inbformation:

Human Rights Commission of the Maldives

Ma.Uthuru Vehi, 5th Floor, Keneree Magu, Male'

Tel: 3336539, 3329245, 3344977, 3304013

Fax: 3338658

Toll free Number: 1424

Email: info@hrcm.org.mv

Website: www.hrcm.org.mv